पत्रांक– कारा/भवन–24/2016................

बिहार सरकार
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग।

प्रेषक,

आनन्द किशोर,
महानिरीक्षक
कारा एवं सुधार सेवाएँ,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सहायक कारा महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय,
गृह विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक–....................2016।

विषयः–राज्य योजना 2016–17 के अन्तर्गत मांग सं0 22 के अधीन मुख्य शीर्ष–4070–अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–052–मशीनरी तथा उपस्कर, उप शीर्ष–0101–काराओं के संयंत्रों हेतु, विपत्र कोड–P4070000520101 राज्य योजना स्कीम कोड–HOM- 5424, विषय शीर्ष–52 01- मशीनें एवं उपस्कर के अन्तर्गत राज्य की काराओं में 4948 अद्द बिजली के पंखों के अधिष्ठापन कार्य हेतु राशि ₹1,33,70,585 (एक करोड़ तैंतीस लाख सत्तर हजार पाँच सौ पचासी रूपये) आवंटन की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के पत्रांक–ब–17/बी0एस0जी0–18/2016–423/वि0 दिनांक–31.03.2016 के आलोक में राज्य की काराओं में 4948 अद्द बिजली के पंखों का अधिष्ठापन कार्य हेतु स्वीकृत राशि ₹1,33,70,585 (एक करोड़ तैंतीस लाख सत्तर हजार पाँच सौ पचासी रूपये) आवंटन की स्वीकृति दी जाती है।

2. उपर्युक्त आवंटित राशि ₹1,33,70,585 (एक करोड़ तैंतीस लाख सत्तर हजार पाँच सौ पचासी रूपये) का व्यय राज्य योजना अन्तर्गत मुख्य शीर्ष–4070–अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–052–मशीनरी तथा उपस्कर, उप शीर्ष–0101–काराओं के संयंत्रों हेतु, विपत्र कोड–P4070000520101 राज्य योजना स्कीम कोड–HOM. 5424, विषय शीर्ष–52 01. मशीनें एवं उपस्कर के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 में उपबंधित राशि के अधीन विकलनीय होगा।

3. उपर्युक्त आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सहायक कारा महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, बिहार, पटना होगें तथा वित्त विभाग के स्थायी अनुदेश ज्ञापांक–2561/वि0(2) दिनांक–17.04.1998 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत राशि की अग्रिम निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जाएगी एवं वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–7312 दिनांक–21.08.2015 के आलोक में बैंक ड्राफ्ट् के माध्यम से मुख्य अभियंता (विद्युत), भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाएगा।

4. योजना के लिए स्वीकृत्यादेश, पत्र सं0–कारा/भवन–155/07–1929 दिनांक–30.03.2016 के द्वारा निर्गत है।

5. राशि की अग्रिम निकासी के प्रस्ताव पर माननीय मुख्य (गृह) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

6. इस योजना के लिये आवंटित की जा रही राशि का विचलन कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा अन्यत्र नहीं किया जायेगा।

7. योजना के ससमय कार्यान्वयन का दायित्व मुख्य अभियंता (विद्युत), भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना का होगा, जो निर्धारित समय में कार्य पूर्ण कराकर आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र और भौतिक प्रगति प्रतिवेदन सरकार के प्रधान सचिव, गृह विभाग एवं कारा महानिरीक्षक, बिहार को भेजेगें।

विश्वासभाजन

ह0/–
महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ।

ज्ञापांकः– कारा/भवन–24/2016................ पटना, दिनांक 2016

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ।

ज्ञापांकः– कारा/भवन–24/2016................ पटना, दिनांक 2016

प्रतिलिपिः–कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी संबंधित अधीक्षक, केन्द्रीय/मंडल/उपकारा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ।

ज्ञापांकः– कारा/भवन–24/2016................ पटना, दिनांक 2016

प्रतिलिपिः–मुख्य अभियंता (विद्युत), भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ।

ज्ञापांकः– कारा/भवन–24/2016................ पटना, दिनांक 2016

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संयुक्त निदेशक, गृह (आरक्षी) विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ।

ज्ञापांकः– कारा/भवन–24/2016..01........ पटना, दिनांक 2-5-2016

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आवंटन आदेश की प्रति संबंधित विभागों को अनिवार्य रूप से Online/E-mail पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ।